

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-01.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **79 वाहनों से मु0- 13400 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 20 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

11 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 370 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेन्द्र पुत्र रामगरीब निवासी पसियनपुरवा पाण्डेय दुर्जनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-86/19, 02. रामविनायक मौर्या पुत्र खुशीराम मौर्या निवासी कडरहनपुरवा कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-87/19, 03. जगसेन पुत्र राजदत्त निवासी सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-88/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लवकुश पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी नौशहरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-95/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजबहादुर पुत्र स्व0श्री परशुराम निवासी गुडौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-73/19, 02. रविन्द्र सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी परासपट्टी पूरवार पूरे टाडी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-74/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. आज़ाराम पुत्र पुत्तन निवासी बडकी केवटहिया मौजा केशवपुर ग्रन्ट पूर्वी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-58/19, 02. बबू मिश्रा पुत्र राम मिलन मिश्रा निवासी काली प्रसाद डीह कुक नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-59/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दीपू निषाद पुत्र पंचम निषाद निवासी मलाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **50 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-102/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दिलीप कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी अतरौला रहमतपुर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-99/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लल्लू सोनकर पुत्र भोला सोनकर निवासी भरहू भट्टा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-151/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रूसई कोरी पुत्र पंचई कोरी निवासी भौरहवा मौजा मेघवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-141/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश पुत्र चन्द्रिका निवासी बेलवा नौहर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-109/19, 02. राधिका सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह निवासी केशव जोत थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-110/19, 03. रामसूरत पुत्र कामता प्रसाद निवासी चोरसिहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-111/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध असलहों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी—

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद में अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है—

थाना वजीरगंज से कार्यवाही—

अभियुक्त रामजतन वर्मा पुत्र रामउजागर निवासी बाबा कुट्टी चौखट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को परसाना बनरबगिया बैरियर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर मु0अ0सं0-129/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना छपिया से कार्यवाही—

अभियुक्त-1. दिलीप कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी अतरौला रहमनपुर थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को बेलहरी बुजुर्ग बैरियर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0-94/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त-2. मनोज कुमार शुक्ला पुत्र सतीश चन्द्र शुक्ला निवासी परासडीह थाना गौर जनपद बस्ती को क्षेत्र भ्रमण के दौरान छपिया ब्लाक के सामने पक्की सड़क के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0-95/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 22 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी—

01. 370 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 01.04.2019

127 अदद अवैध सुतली बमों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजेश पाण्डेय पुत्र स्व: रामशंकर पाण्डेय निवासी राम चरे पुरवा मौजा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-96/19 धारा 4/5/9 ख विस्फोटक अधि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 127 अदद सुतली बम।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 01.04.2019 को प्रातः उ0नि0 इसरत हुसैन मय हमराह फोर्स के साथ बेलई नारा तिराहा, ताले पुरवा मोड पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग करते समय उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 127 अवैध सुतली बम बरामद कर थाना परसपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध ड्यूटी चेकिंग के दौरान उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 अदद सुतली बम बरामद कर थाना परसपुर में उक्त अभियुक्त के धारा विरुद्ध 4/5/9 ख विस्फोटक अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. थानाध्यक्ष परसपुर वृजानन्द सिंह
02. उ0नि0 इसरत हुसैन।
03. हेड का0 नरसिंह ओझा।
04. हेड का0 देवमणि यादव।
05. रि0 का0 गौरव यादव।

नाजायज चरस व अवैध शस्त्र के साथ 01 तस्कर गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संजय लौटन पुत्र गंगा राम निवासी लालक पुरवा मौजा माधव गंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 130 ग्राम अवैध चरस।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-142/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-143/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण

आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह ने जनपद की सीमाओं पर आने जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में दिनांक 31.03.2018 को थाना धानेपुर उ0नि0 शादाब आलम मय हमराह फोर्स के साथ थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत कतुबगंज बैरियर पर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना धानेपुर में आर्म्स व एन0डी0पी0एस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।